



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 चैत्र 1948 (श0)
(सं0 पटना 294) पटना, बुधवार, 25 मार्च 2026

सं० मु०वा०भ०-407-05/202-100
भवन निर्माण विभाग

संकल्प

5 फरवरी 2026

विषय :- राजवंशीनगर एवं शास्त्रीनगर, पटना को आवासीय एवं गैर-आवासीय रूप में पुनर्विकास हेतु मास्टर प्लान निर्माण हेतु चयनित परामर्शी के शुल्क भुगतान हेतु राशि ₹1,59,30,000/- (एक करोड़ उनसठ लाख तीस हजार रुपये, जी०एस०टी० सहित) मात्र का वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रशासनिक स्वीकृति।

राजवंशीनगर एवं शास्त्रीनगर, पटना को आवासीय एवं गैर-आवासीय रूप में पुनर्विकास हेतु मास्टर प्लान के परामर्शी सेवा हेतु वास्तुविद् परामर्शी का चयन विहित प्रक्रिया के अनुसार अभिरुचि आमंत्रण प्रकाशित कर एवं गठित मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के उपरांत किया गया। परामर्शी से एकमुश्त राशि के रूप में प्राप्त शुल्क संबंधी सहमति एवं तकनीकी अनुमोदन के आलोक में कुल ₹1,59,30,000/- (एक करोड़ उनसठ लाख तीस हजार रुपये, जी०एस०टी० सहित) के साथ चयनित परामर्शी से अग्रेत्तर परामर्शी सेवा प्राप्त की जा रही है। विभागीय पत्रांक-844, दिनांक 01.11.2018 के आलोक में परियोजना को निर्धारित माईल स्टोन के अनुसार पूरा किये जाने हेतु सभी परियोजनाओं के परामर्शी शुल्क की स्वीकृति संबंधी कार्रवाई भवन निर्माण विभाग के द्वारा अपने बजट से किया जाना है।

- राजवंशीनगर एवं शास्त्रीनगर, पटना को आवासीय एवं गैर-आवासीय रूप में पुनर्विकास हेतु मास्टर प्लान के परामर्शी शुल्क के भुगतान हेतु राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 13.01.2026 की बैठक में मद संख्या-20 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए परामर्शी शुल्क के भुगतान हेतु कुल ₹1,59,30,000/- (एक करोड़ उनसठ लाख तीस हजार रुपये, जी०एस०टी० सहित) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- इस योजना का व्यय मांग संख्या-03 के मुख्य शीर्ष-4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष-01-सरकारी रिहायशी भवन-लघुशीर्ष-700-अन्य आवास उपशीर्ष-0101-अन्य आवास विपत्र कोड-03-4216017000101 के विषशीर्ष-53-मुख्य कार्य-0101.53.01 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से वहन किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्ब्यय एवं बजट उपबंध के अधीन ₹ 40,00,000/- (चालीस लाख रुपये) तक व्यय सीमित रहेगा एवं शेष राशि ₹ 1,19,30,000/- (एक करोड़ उन्नीस लाख तीस हजार रुपये) का व्यय वर्ष 2026-27 में किया जायेगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों/महालेखाकार (ले०एवं ह०), बिहार सहित अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कुमार रवि,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 294-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>